न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 29/2024 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2024/89

1. कानाराम पुत्र श्री नानकराम जाति नायक निवासी गांव खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत खेदासरी पंचायत समिति रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक अपीलांट
श्री लेखराज नायक – अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक 11.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 16.03.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक खेदासरी के खसरा नंबर 383/25 की 3.544 हैक्टयर बरानी भूमि को जिला कलक्टर हनुमानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा आबादी हेतु आरक्षित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय अपील में प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट कानाराम को ग्राम खेदासरी में 26 बीघा भूमि अलॉट हुई थी जिसमें से 13 बीघा भूमि चक नं. 4 केएचडी में मुरब्बा नंबर 230/2 के किला नंबर 1 ता 3, 8 ता 13, 17 ता 30 कुल 13 बीघा अनकमाण्ड पैमुद हुई और चक 5 केएचडी में मुरब्बा नंबर 230/1 में किला नंबर 19 ता 22 में 4 बीघा अनकमाण्ड पैमुद हुई इस प्रकार कुल 17 बीघा भूमि तो कोलोनाईजेशन ऐरिया में आ गई। अपीलांट की जो उक्त 17 बीघा भूमि नहरी क्षेत्र में आ गई उसका तो पुख्ता आवंटन हो गया और उसकी खातेदारी 20.06. 1984 को दे दी गई शेष 9 बीघा भूमि चक खेदासरी बारानी में होने के कारण उसक पुख्ता आवंटन नही हुआ और वह आरजी काश्तकार के तौर पर अपीलांट के धारण में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

चली आ रही है जिसमें मौके पर कब्जा काश्त हैं उक्त 9 बीघा भूमि बारानी होने से उसका पुख्ता आवंटन नही हुआ और ऐसी भूमियों का आवंटन का नवीनीकरण स्वतः होना माना जाता रहा है। उक्त 9 बीघा भूमि रकबा अब खसरा नंबर 383/25 की भूमि है। सरपंच ग्राम पंचायत खेदासरी ने चक खेदासरी ने चक खेदासरी बारानी के खसरा नंबर 383/25 की कुल 3.544 हैक्टयर भूमि को सिवाय चक मानते हुए इस भूमि को आबादी मे आरक्षित करने हेतु जिला कलक्टर को लिखा ओर उनके द्वारा उक्त खसरे की सारी भूमि को सिवाय चक की भूमि मानते हुए आबादी हेतु आरक्षित करने में कानूनी गलती की है। क्योकि उक्त खसरे की उक्त 9 बीघा भूमि अपीलांट के धारण में है और आक्युपाईड लेण्ड की परिभाषा मे आती है। इस लिए उक्त भूमि आबादी हेतु आरक्षित किया जाना कतई गलत है। पटवारी हल्का द्वारा बनाया हुआ नजरी नक्शा चक खेदासरी बारानी मय खेदासरी का मौजूद है जिसमें पूर्व की तरफ चक सीमा 4 केएचडी दर्शाया हुआ है और इस 4 केएचडी और 5 केएचडी की अपीलांट की 17 बीघा अनकमाण्ड भूमि के चिपते ही चक खेदासरी बारानी में अपीलांट की उक्त 9 बीघा भूमि खसरा नंबर 383/25 में स्थित है जो सिवायचक की भूमि नही है बल्कि अपीलांट की आवंटित भूमि है जिसे आबादी के लिए आरक्षित नही किया जा सकता। उपखण्ड अधिकारी रावतसर के पत्र दिनांक 03.08.2018 जो जिलाधीश हनुमानगढ़ को लिखा गया है जिसके द्वारा चक खेदासरी बारनी के खसरा नंबर 383/25 की 3.544 हैक्टयर बारानी सिवायचक भूमि को आबादी हेतु आरक्षण करने बाबत् प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके भिजवाया गया है उसके साथ जो चैक लिस्ट लगी हुई है उसके कॉलम नं 7 के अनुसार जो नक्शा पटवारी हल्का द्वारा बनाकर पेश किया गया है। उसमें पटवारी हल्का के खसरा नंबर 25 के नक्शे में उक्त 9 बीघा भूमि को डोट–डोट करके अलग दिखा रखी है जो सिवाय चक मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आबादी हेतु आरक्षित करने कानूनी भूल की है। अपीलांट को खेदासरी में खसरा नंबर 25 मिन में 9 बीघा बारानी भूमि आवंटित है जिसकी राजस्थान कोलोनाईजेशन विभाग की पर्चा खतोनी एवं चक 4 केएचडी में 13 बीघा अनकमाण्ड व 5 केएचडी में 4 बीघा अनकमाण्ड भूमि की खातेदारी अपीलांट के नाम से जारी है। अदालत मातहत अपीलांट की गैर हाजरी में पारित किया गया है एवं अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नही दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें और चक खेदासरी बारानी के खसरा नंबर 383/25 की 3.455 हैक्टयर भूमि में से अपीलांट की आरजी काश्त पर आवंटित 9 बीघा भूमि को छोडते हुए शेष भूमि को आबादी हेतु आरक्षित करने का आदेश कायम रखा जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत खेदासरी ने उक्त वादगत भूमि चक खेदासरी खसरा नंबर 383/25 की 3.544 हैक्टयर सिवाय चक भूमि को आबादी हेतु आवटित/आरक्षित करने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी रावतसर से उक्त वादगत भूमि के संबंध में प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ कें समक्ष पूर्ण जांच एवं नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया गया। उक्त वादगत भूमि के आबादी भूमि हेतु आरक्षित करवाने के प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व ग्राम पंचायत को आवंटन की जानकारी नहीं थी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं दौराने बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—96 **सीपीसी** प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादगत भूमि खसरा संख्या 383/25 की 3.544 हैक्टयर भूमि को अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा आबादी भूमि हेतु आरक्षित कर दिया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को ना तो सुनवाई मौका दिया गया और ना ही सबूत पेश करने का अवसर नही दिया गया। अपितु अपीलांट की गैर हाजरी में एकतरफा आदेश पारित कर दियां। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2024 में पारित करने से पूर्व न्यायोचित प्रक्रिया पालन नहीं किया। जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को अनाधिवासित भूमि ही आबादी हेतु आरक्षित करनी थी। अतः उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2024 को खसरा नंबर 383/25 की 3.544 हैक्टयर भूमि में से प्रार्थी की 9 बीघा भूमि की सीमा तक निरस्त किया जाता है। शेष आवादी विस्तार आदेश यथावत रहेगा।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर